

32

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी
उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य
में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं
हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----

पेश हो 8-7-21 को

33

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी
उपस्थित। पत्रावली अधिक होने से
प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी।

पत्रावली पूर्ववत दिनांक 25-8-21
को पेश हो।

34

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी
उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य
में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं
हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----

पेश हो 18-9-21 को

35

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी
उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य
में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं
हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----

पेश हो 6-11-21 को

36

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी
उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य
में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं
हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----

पेश हो 10-11-21 को

10/11
2025

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०।

पत्रावली लम्बे समय से तलवी में
पल रही है। वादी अधिवक्ता को
तलवी सम्मन हेतु कई बार अन्तिम
अवसर दिये गये किन्तु प्रतिवादी
गण की तलवी नहीं कराई गई।

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अतः पत्रावली आदेश व नियम 5 सीपीसी
के तहत अदम शामिल तहसील में शामिल
की जाकर नम्बर से कम की जाकर
केसल शुमार कर दारिखल इफ्टर की
जाती है।

निर्दिष्ट आज दिनांक 10/11/2025
की सरे इजलास सुनाया गया 